उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

- ☞ *शैक्षणिक योग्यता – एल एल०बी०*
- ☞ *आयु सीमा – 22 से 35 वर्ष*
- ☞ *(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट)*

परीक्षा का पाठ्यक्रम

परीक्षा तीन चरणों में होगी–

1. प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) 450 अंक
2. मुख्य परीक्षा (व्यक्ति-निष्ठ) 1000 अंक
3. साक्षात्कार 100 अंक

क्र.सं.	*विषय*	*कुल प्रश्न*	*कुल अंक*	*समय अवधि*
	प्रारम्भिक परीक्षा			
1.	सामान्य अध्ययन	150	150	2 घण्टे
2.	विधि	150	300	2 घण्टे
	मुख्य परीक्षा			
1.	सामान्य अध्ययन		200	3 घण्टे
2.	भाषा		200	3 घण्टे
3.	विधि - I		200	3 घण्टे
4.	विधि - II		200	3 घण्टे
5.	विधि - III		200	3 घण्टे
	साक्षात्कार		100	

नोट : *प्रारम्भिक परीक्षा में नकारात्मक अंक प्रणाली के रूप में एक तिहाई अंक काटे जायेंगे।*

प्रारम्भिक परीक्षा

1. **प्रश्न-पत्र I - सामान्य ज्ञान** 150 अंक

इस प्रश्न-पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के

क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

2. **प्रश्न-पत्र II - विधि** 300 अंक

इस प्रश्न-पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनायें, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं–

I. विधि शास्त्र

II. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

III. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण

IV. भारतीय संविधान

V. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम

VI. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

VII. भारतीय दण्ड संहिता

VIII. सिविल प्रक्रिया संहिता

IX. दण्ड प्रक्रिया संहिता

X. संविदा विधि

मुख्य परीक्षा

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे–

1. **प्रश्न-पत्र I - सामान्य ज्ञान** 200 अंक

इस प्रश्न-पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

2. **प्रश्न-पत्र II - भाषा** 200 अंक

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के चार प्रश्न समाविष्ट होंगे :

I. अंग्रेजी में लिखित एक निबंध 60 अंक

II. अंग्रेजी में सार लेखन 60 अंक

III. हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद 40 अंक

IV. अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद 40 अंक

3. **प्रश्न-पत्र III - विधि (मौलिक विधि)** 200 अंक

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के प्रश्न समाविष्ट होंगे :

I. संविदा विधि

II. भागीदारी अधिनियम

III. सुविधा अधिकार और अपकृत्यों संबंधी विधि

IV. सम्पत्ति के अन्तरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे।

V. न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष सन्दर्भ में साम्या के सिद्धान्त

VI. हिन्दू विधि तथा मुस्लिम विधि

VII. सांविधानिक विधि

***नोट** : 50 अंकों का प्रश्न केवल सांविधानिक विधि से संबंधित होंगे।*

4. **प्रश्न-पत्र IV - विधि (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)** 200 अंक

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के प्रश्न समाविष्ट होंगे :

I. साक्ष्य विधि

II. दण्ड प्रक्रिया संहिता

III. सिविल प्रक्रिया संहिता

IV. अभिवचन के सिद्धान्त

दिये गये प्रश्न मुख्यत: व्यावहारिक मामलों से संबंधित होंगे, जैसे कि सामान्यत: आरोपों और वाद बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियां, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

5. **प्रश्न-पत्र V - विधि (दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियां)** 200 अंक

इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के प्रश्न समाविष्ट होंगे :

I. भारतीय दण्ड संहिता

II. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951

III. उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972

IV. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम

V. उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम

VI. उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953

VII. उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973

उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ

नोट : *स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से संबंधित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।*

साक्षात्कार

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी को उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक् ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में व्यक्त किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा

नोट : *(1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न-पत्रों में प्राप्त किए गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।*

(2) आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने विधि प्रश्न-पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किए हों, जो कि उसके द्वारा ऐसे इनकार को न्यायोचित ठहराये।

''मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें जीने के लिए असीम रूप से अधिक साहस की आवश्यकता होती है।''

सरोजिनी नायडू